न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद **89 / 2022**

वादीगण :– सुमेरलाल पुत्र वीरमाराम
जाति माली निवासी पतासर तहसील पचपदरा
जिला बाड़मेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थित :– 1. वादी स्वंय
2. तहसीलदार, पचपदरा

निर्णय दिनांक :– 20.06.2022

वादीगण की और से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलो–अप शिविर बागावास में प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी का सरहद मौजा पतासर तहसील पचपदरा के खाता 180 रकबा 36.8182 हैक्टयर भूमि एवं कब्जा काश्त कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता स्वर्गीय वीरमाराम की फौतगी का नामान्तरकरण भरते समय वादी सुमेरलाल का नाम चीमा भूलवंश एवं लिपिकीय त्रुटि से घरेलु बोलचाल वाला नाम चीमा दर्ज हो गया, किन्तु वादी का सही व वास्तविक नाम सुमेरलाल है, राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज होने से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र वादी के बच्चों के स्कूल इत्यादी में वादी का सही नाम सुमेरलाल दर्ज है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में घरेलू नाम चीमा दर्ज होने से वादी को भारी असुविधा उत्पन्न हो रही है। उक्त खातेदारी भूमि के के उपयोग उपभोग ऋण या सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वादी अनपढ़ काश्तकार है, जिसका पता वादी को चलने पर तहसीलदार, पचपदरा से वादी का नाम गलत दर्ज होने दुरूस्त करने की हिदाय[illegible] घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया। वादी का सही नाम राजस्व [illegible] अपनी कब्जा सुदा काश्त की भूमि का सरकारी उपयोग [illegible] का उपयोग नहीं कर पा रहा है । जिससे वादी को उक्त रेकर्ड दुरस्ती करने हेतु वा[illegible]त्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:18 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण 1 की और से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वादी का सही नाम सुमेरलाल पुत्र वीरमाराम को दुरूस्ती करने पर सहमति प्रकट की गयी। इसमें उन्हे कोई ऐतराज नहीं है।

हमनें वादीगण एवं राजकीय पेरोकार सरकार की बहस को सुना व पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेंजात की छाया प्रति आधार कार्ड,एवं वादी के पहचान के दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया । जिसमें वादी का सही व शुद्व नाम सुमेरलाल पुत्र वीरमाराम है। राजस्व रेकर्ड में चीमा पुत्र वीरमाराम गलत नाम दर्ज है। वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार तहसीलदार, पचपदरा की गयी विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने एवं डिक्री करने योग्य होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है सरहद मौजा पतासर तहसील पचपदरा के खाता 180 रकबा 36.8182 हैक्टयर भूमि में वादी का चीमा पुत्र वीरमाराम गलत नाम के स्थान पर सही नाम सुमेरलाल पुत्र वीरमाराम का अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:18 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

मुकदमा राजस्व वाद **89/2022**

वादीगण :– सुमेरलाल पुत्र वीरमाराम
जाति माली निवासी पतासर तहसील पचपदरा
जिला बाड़मेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री वादी स्वंय मिनजानिब तहसीलदार पचपदरा प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है सरहद मौजा पतासर तहसील पचपदरा के खाता 180 रकबा 36.8182 हैक्टयर भूमि में वादी का चीमा पुत्र वीरमाराम गलत नाम के स्थान पर सही नाम सुमेरलाल पुत्र वीरमाराम का अमलदरामद करे।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.06.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	2/–		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:18 IST
Reason: SelfAttested